सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या : 1692
दिनांक : 20/6/19

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(2)(12)पंचा / रानिआ / 2019 / 2073-77 दिनांक 17.6.19

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।

4545/ACS/404/19
18/06/19

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव जून, 2019 – चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव जून, 2019 में कराये जानें हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 17.06.2019 को जारी होगी तथा मतदान दिनांक 30.06.2019 को होगा। उप चुनाव हेतु विस्तृत कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

चुनाव कार्यक्रम की उक्त घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

JS (A)

भवदीय

AS-2/SO

18/6/19

सचिव

19/6/19

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह जून, 2019 हेतु चुनाव कार्यक्रम

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव हेतु कार्यक्रम

1.	नियम 58 के तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना	दिनांक 17.06.2019 (सोमवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	दिनांक 19.06.2019 (बुधवार) (पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	दिनांक 20.06.2019 (गुरूवार) (पूर्वान्ह 11.30 बजे से)
4.	नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.06.2019 (शुकवार) (अपरान्ह तीन बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	दिनांक 21.06.2019 (शुकवार) (अपरान्ह तीन बजे बाद)
6.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	दिनांक 30.06.2019 (रविवार), (प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक)
7.	मतगणना (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर)	दिनांक 02.07.2019 (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से)

पंच/सरपंच के उपचुनाव हेतु कार्यक्रम

1.	नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दिनांक 17.06.2019 (सोमवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा एवं वापसी हेतु तिथि	दिनांक 25.06.2019 (मंगलवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशनों की प्राप्ति	प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक
	(2) नाम निर्देशनों की संवीक्षा	पूर्वान्ह 11.30 बजे से
	(3) अभ्यार्थिता वापसी	अपरान्ह 3 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	दिनांक 30.06.2019 (रविवार) (प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक)
4.	मतगणना	दिनांक 30.06.2019 (रविवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)

12.6.2019

Scanned by CamScanner

पंचायतीराज संस्थाओं में आगामी उपचुनाव हेतु रिक्तियों का विवरण

(संशोधित)

क्र.सं	जिला	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या	पंचायत समिति सदस्य/प्रधान/उपप्रधान		सरपंच		वार्ड पंचो की संख्या
			प.स. का नाम	नि. क्षे. सं.	प.स. का नाम	ग्रा.प. का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर		पीसांगन	10	भिनाय	बांदनवाडा	26
			जवाजा	10			
2	अलवर	40	किशनगढबास	13 एवं 17	कठूमर	नाहरखोरा	36
			लक्ष्मणगढ	20	कोटकासिम	उजोली	
			तिजारा	5 एवं 16	रामगढ	भजीट	
3	बांसवाड़ा		कुशलगढ	10, 14, 15 एवं 16	छोटी सरवन	फेफर	20
			आनंदपुरी	04			
			घाटोल	18 एवं 24	कुशलगढ	कुशलपाडा	
			सज्जनगढ	17			
			गढी	14			
4	बारां	20	अटरू	3	अन्ता	बिजौरा	9
			छीपाबडौद	2			
5	बाड़मेर		सेडवा	15 एवं 18	सिवाना	मोतीसरा	27
			गुढामलानी	16			
			गिडा	5	चौहटन	केरनाडा	
			कल्याणपुर	3	बाडमेर	मुरटाला गाला	
6	भरतपुर		कामां	21	बयाना	समोगर	33
			पहाडी	13	नदबई	खेडीदेवीसिंह	
			डीग	6	वैर	नैवाडा	
			बयाना	13			
7	भीलवाड़ा	13	जहाजपुर	8	आसिन्द	कालियास	8
						भोजपुरा	
					बनेडा	मूशी	
					माण्डल	भादू	
						जोरावरपुरा	
					माण्डलगढ	खाचरोल	
					सुवाणा	गुरला	
8	बीकानेर	5	पांचू	7	श्रीडूंगरगढ	दुलचासर	19
					कोलायत	झझु	
9	बून्दी						
10	चित्तौड़गढ़						8
					बेंगू	दुगार	14
11	चुरू		राजगढ	8			19
			सरदारशहर	14			
			तारानगर	6			
12	दौसा	6	महवा	10	लालसोट	कालूवास	19
			लालसोट	09			
13	धौलपुर				बाडी	नीमखेडा	7
						सिंगोरई	
					राजाखेडा	जलालपुर	
14	डूंगरपुर		बिछीवाडा	20	बिछीवाडा	गलन्दर	14
			झोंथरी	16	डूगरपुर	उपरगांव	
15	हनुमानगढ		पीलीबंगा	16	भादरा	मोठसरा	25
			नोहर	25		नेठराना	
			भादरा	2			
16	जयपुर		गोविन्दगढ	27	गोविन्दगढ	इटावा भोपजी	42
			पावटा	4 एवं 24	कोटपूतली	बनार	
			विराटनगर	21	फागी	लदाना	
			शाहपुरा	1			
17	जैसलमेर		सम	10			4
			सांकडा	17			

Scanned by CamScanner

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांकः 26.6.2019

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत पंचायतीराज संस्थाओं के (संलग्न सूची अनुसार) उपचुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। उपचुनाव दिनांक 30.**06.2019** को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(चन्दा लाल मीना)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय, को उनकी आईडी संख्या F19002293 दिनांक 26.6.2019 के कम में।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 13.6.19 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
12. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. समस्त संभागीय आयुक्त।
14. समस्त जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
19. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
23. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
24. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(2)साप्र/2/2019 **जयपुर, दिनांकः** 26.6.2019

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव (संलग्न सूची अनुसार) दिनांक 30.06.2019 को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(चन्दा लाल मीना)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव(जीबी)मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आईडी संख्या F19002293 दिनांक 26.6.2019 के क्रम में।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 13.6.2019 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
12. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. समस्त संभागीय आयुक्त।
14. समस्त जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
19. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
23. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
24. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in. Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(2)(12)पंचा / रानिआ / 2019 / 2085 दिनांक 13.6.19

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव माह जून, 2019–आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह जून, 2019 हेतु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। कार्यक्रम के अनुसार उप चुनाव के लिये निर्वाचन हेतु अधिसूचना दिनांक 17.06.2019 को जारी होगी तथा मतदान दिनांक 30.06.2019 को होगा। घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रकिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना अपेक्षित है। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. संबंधित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

आज्ञा से,

सचिव

क्रमांकः एफ.7(2)(12)पंचा / रानिआ / 2019 / 2086 दिनांक 13.6.19

प्रतिलिपिः– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप सचिव

Scanned by CamScanner

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in. Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(2)(12)पंचा / रानिआ / 2019 / 2087 दिनांक 13.6.19

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव जून, 2019 – अभ्यर्थियों अथवा उनकी ओर से राजनेताओं द्वारा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के वाहनों के प्रयोग का निषेध।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह जून, 2019 हेतु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, आदि के वाहनों का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग में लेना राजकीय तन्त्र का दुरूपयोग माना जावेगा, क्योंकि ये संस्था किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा पोषित होते हैं। मतदाताओं का ऐसे वाहनों में मतदान केन्द्र तक प्रवहण (Free Conveyance) भी एक निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण है। इसलिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए राजकीय वाहनों का दुरूपयोग रोका जाना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि जिले में कार्यरत पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित समस्त अधिकारियों को तुरन्त अलंघनीय निर्देश जारी करें कि, निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने तक इन निकायों के वाहनों का निर्वाचन के कार्यो के लिए अभ्यर्थियों और उनके लिए कार्य कर रहे पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में उपयोग में लेना निषिद्ध रखें।

सलंग्नः– रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय

सचिव

Scanned by CamScanner